न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 54/2022 राजस्व वाद

उनवान

1 मु.मथरा पत्नी रतनलाल कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बडला तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

——— वादीया

बनाम

1 मु.लाडा पत्नि रूपलाल कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बडला तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री राजेश वर्मा———वादीया अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थितः— विपक्षी क्र. 01

निर्णय

दिनांक —30/8/2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने एक राजस्व वाद पत्र बाबत राजस्व नक्शें में संशोधन कराने एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रस्तुत किया। ग्राम बडला पटवार हल्का क्षेत्र बडला तहसील फूलियाकलां की सरहद में स्थित हाल खसरा 555 रकबा 1.21 हैक्टयर भूमि तात्कालिन खातेदार श्री नन्दा पिता फुन्दा कुमावत के खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित थी। जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी भूभाग में से रकबा 0.75 हैक्टयर भूभाग वादीया से 49,000/—रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर एक बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 को निष्पादित करा दिया गया था। इस बिकाव उपरान्त ही विवेचित भूभाग का कब्जा वादीया को सम्भला दिया गया था। पंजीकृत बिकाव किये गये भूभाग के पड़ौस पूर्व मे— श्री रामचन्द्र जी की भूमि पश्चिम एवं उत्तर दिशा में—आम रास्ता, दक्षिण में— प्रतिवादीया का खसरा जिसका स्पष्ट अंकन निष्पादित बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 में स्पष्ट रूप से किया हुआ है। उक्त पंजीकृत बिकाव ईकरार नामा के आधार पर वादीया के पक्ष में इन्तकाल संख्या 210 स्वीकृत कर नवीन बट्टा नम्बर 2563/555 रकबा 0.75 हैक्टयर भूभाग के खातेदारी अधिकार वादीया को प्रदान किए गये। इसके पश्चात गत् खसरे के बचे हुए क्षेत्रफल रकबा 0.46 हैक्टयर भूभाग का बिकाव

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीया संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 28.09.2005 को गत् खातेदार द्वारा कर दिया गया। और इस पश्चातवृति बिकाव के आधार पर इन्तकाल संख्या 211 निर्णित कर प्रतिवादीया को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गये। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल संख्या 210 स्वीकृत कर नवीन बट्टा नम्बर 2563/555 रकबा 0.75 हैक्टयर को राजस्व नक्शे में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पंजीकृत बिकाव एवं सिपूर्द कराये गये कब्जे अनुसार स्थापित करने के बजाय पश्चिम से पूर्व दिशा की स्थापित कर, नक्शे में दोषपूर्ण कर दी गई। राजस्व कार्मिकों द्वारा वादीया की खरीद आराजी की स्थिति में परिवर्तन कर बिल्कुल उलट दर्शा दिया गया। इस कारित भूल से वादीया के हित बैहद प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक होने के साथ कानूनन वादीया के हित में होगा। प्रतिवादीया संख्या 01 की मिलीभगत से कारित गलत इन्द्राज सर्वथा विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है। वादी इस दोषयुक्त ईन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अतः ग्राम बडला पटवार हल्का क्षेत्र बडला तहसील फूलियाकलां की सरहद में वादीया के पंजीकृत खरीदशुदा हाल खसरा संख्या नम्बर 2563/555 रकबा 0.75 हैक्टयर को राजस्व नक्शें में निष्पादित पंज़ीकृत बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 में उल्लेखित पडौस अनुसार सही स्थान पर तरमीम किया जाना फरमावें। और वादीया को उस भूभाग की सीमाओं में खातेदार कृषका उद्घोषित किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 28.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुतिकरण जवाबदावा मुनासिब मौके लिए जाने के बावजूद अनुपालन नही किए जाने पर उनका अवसर समाप्त किया गया/एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादीया के बतौर गवाह के शहादत्त में प्रस्तुत शपथ–पत्र को रेकार्ड पर लिया जाकर, उस पर वादीया के बयानात कलमबद्ध कर, शपथपत्र पर लाल श्याही से पी.डब्ल्यू.–01 एवं समर्थन में संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर आवश्यक प्रदर्श के अंकन किये गये। तदोउपरान्त वादीया के नियुक्त विद्वान अभिभाषक श्री राजेश वर्मा ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, शपथपत्र, राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम बडला पटवार हल्का क्षेत्र बडला तहसील फूलियाकलां की सरहद में स्थित हाल खसरा 555 रकबा 1.21 हैक्टयर भूमि तात्कालिन खातेदार श्री नन्दा पिता फुन्दा कुंमावत के खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित थी। जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी भूभाग में से रकबा 0.75 हैक्टयर भूभाग वादीया से 49,000/–रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर एक बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 को निष्पादित करा दिया गया था। इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01–ए पंजीकृत बिकाव पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी संवत् 2074–77 से हुई है। पंजीकृत बिकाव किये गये भूभाग के पड़ौस पूर्व मे– श्री रामचन्द्र जी की भूमि पश्चिम एवं उत्तर दिशा में–आम रास्ता, दक्षिण में– प्रतिवादीया का खसरा जिसका स्पष्ट अंकन निष्पादित बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 में स्पष्ट रूप से किया हुआ है। जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01–ए पंजीकृत बिकाव पत्र से प्रमाणित हुआ है। गत् खसरे के बचे हुए क्षेत्रफल रकबा 0.46 हैक्टयर भूभाग का बिकाव प्रतिवादीया संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 28.09.2005 को गत् खातेदार द्वारा कर दिया गया। यह तथ्य प्रदर्श दस्तावेज संख्या 05 हाल जमाबन्दी संवत् 2074–77 के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है।

वादीया के पक्ष में खरीद को आधार पर इन्तकाल संख्या 210 स्वीकृत कर नवीन बट्टा नम्बर 2563/555 रकबा 0.75 हैक्टयर को राजस्व नक्शे में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पंजीकृत बिकाव एवं सिपूर्द कराये गये कब्जे अनुसार स्थापित करने के बजाय पश्चिम से पूर्व दिशा की स्थापित कर, नक्शे में दोषपूर्ण कर दी गई। इस तथ्य की पुष्टी प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात से होना पाया गया है कि निष्पादित बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 के मुकाबले हाल नक्शे में वादीया के खरीद खसरे को अन्यत्र स्थान पर तरमीम कर दी गई है। जिसे उपयुक्त स्थान पर स्थापित कर, नक्शें को दुरूस्त किया जाना मुनासिब होगा।

देखने पर यह सूस्पष्ट है कि वादीया की खरीदशुदा आराजी की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जिसे दुरूस्त कराये जाने की वादीया हकदारिणी है। वादीया पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे शपथपत्र तथा शहादत्त वादीया में वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेजात के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादीया के वादपत्र ब–हक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम बडला पटवार हल्का क्षेत्र बडला तहसील फूलियाकलां की सरहद में वादीया के पंजीकृत खरीदशुदा हाल खसरा संख्या नम्बर 2563/555 रकबा 0.75 हैक्टयर को राजस्व नक्शें में निष्पादित पंजीकृत बिकाव ईकरार नामा दिनांक 28.09.2005 में उल्लेखित पडौस की स्थिति (पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर) अनुसार हाल राजस्व नक्शे में फिट/स्थापित कर, तरमीम/संशोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है और दुरूस्तिकरण पश्चात वादीया को उस भूभाग की सीमाओं में खातेदार कृषका उद्घोषित किया जाना फरमावें। यह ध्यान रखा जावें कि

Scanned with OKEN Scanner

रकबे/क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पाये। तहसीलदार फुलियाकलां राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार अमलदरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 30/8/ 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया. गया।

(राजकेश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner